

“ बिहार के आर्थिक विकास में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका ” पर परिचर्चा में माननीय केन्द्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा—

- एल.ई.डी. लाइट की कंपनी बिहार में खुलेगी • भागलपुर व दरभंगा में बनेगा सॉफ्टवेयर पार्क • छोटे शहरों में बीपीओ खोलने की योजना



परिचर्चा को संबोधित करते माननीय केन्द्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद। उनकी दाईं ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह एवं बाँयें ओर उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बोरिया।



दिनांक 26 जनवरी 2015 को पूर्वान्ह 11:30 बजे चैम्बर प्रांगण में चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह द्वारा राष्ट्रध्वज फहराकर 66वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर चैम्बर सदस्य काफी संख्या में उपस्थित थे।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 24 जनवरी, 2015 को “बिहार के आर्थिक विकास में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका” पर माननीय केन्द्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद की गरीमामयी उपस्थिति में एक परिचर्चा आयोजित हुई।

अपने स्वागत संबोधन में चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ.पी. साह ने कहा कि मैं माननीय मंत्री जी का अनुगृहित हूँ कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज जो कि राज्य के उद्योग एवं व्यवसाय की शीर्ष संस्था है और जिसने अपने 89वें गौरवशाली वर्ष में प्रवेश किया है, में पधार कर “बिहार के आर्थिक विकास में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका” पर अपने विचारों से हमें अवगत कराने की कृपापूर्ण स्वीकृति दी है। माननीय मंत्री जी बिहार के विषय में आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप इस गौरवशाली राज्य के स्वयं एक स्तम्भ हैं और अपने क्षेत्र में आपने राज्य का नाम रौशन किया है।

आज की इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा के युग में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी की महत्ता काफी बढ़ गई है और जीवन के हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता पड़ती है। चाहे किसान हो, व्यवसायी हो, प्रोफेशनल हो, आम आदमी हो, छात्र हो, नर हो या नारी हो, आज हर वर्ग के लोगों को इसकी आवश्यकता है।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में आपके द्वारा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी को घर-घर में पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि आपके कुशल नेतृत्व में सरकार इस मिशन में अवश्य सफल होगी।

आपने कई अवसरों पर IT Cluster और Electronic Cluster को देश के विभिन्न भागों में स्थापित करने का अपना संकल्प जताया है। हम आपके इस प्रयास की सराहना एवं स्वागत करते हैं। माननीय मंत्री जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का Make in India का जो स्वप्न है उसे पूरा होने में देश में मोबाइल फोन, टीवी, और अन्य संचार साधनों के उत्पादन होने से बल मिलेगा और जिसके लिए आप प्रयत्नशील भी हैं।

माननीय मंत्री जी आप हमारे हैं, बिहार के हैं, आप पर हमारा पहला अधिकार है इसलिए हमारी आपसे पुरजोर मांग है कि राज्य में -

1. बैंगलूरु और हैदराबाद की तरह IT Park का निर्माण करवाया जाए। इसमें जमीन की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी और ये Vertical Building में आसानी से अवस्थित हो सकते हैं।

2. भारतीय प्रतिभाओं की नित नई खोज से विकसित समृद्ध संसाधनों और उनसे आय के स्रोतों में तेजी से बढोत्तरी सामने आ रही है। यह क्षेत्र 30 फिसदी से भी ज्यादा दर से बढ़ रहा है। इस उद्योग में एक मिलियन से भी ज्यादा लोग रोजगार पा रहे हैं और लगभग ढाई मिलियन से भी ज्यादा लोग अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हैं। भारत के घरेलू सकल उत्पाद में इस उद्योग का बहुत अच्छा योगदान है। जिन प्रतिभाओं का भारत में लाभ उठाना चाहिए था वे दूसरे देशों की प्रगति का जरिया बन रही है। देखा जाए तो भारतीय आईटी उद्योग देश का पहला वैश्विक व्यवसाय बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। भारत की टाटा कंसल्टेंसी इसका उदाहरण है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय प्रतिभाओं की भारी माँग ने भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे तेज गति से विकास करने वाला सूचना प्रौद्योगिकी बाजार बना दिया है।

बिहार में भी इन प्रतिभाओं की कमी नहीं है और यहाँ पर भी संचार प्रौद्योगिकी से जुड़े उद्योग लगाकर यहाँ के युवा शक्ति का उपयोग बेहतर तरीके से किया जा सकता है। हमारा विश्वास है कि आपके प्रयास से हमारा राज्य भविष्य में Silicon City की जगह Silicon State का दर्जा प्राप्त कर सकता है।

3. जैसा कि आप अवगत हैं कि बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या की कुल आबादी का 10% है। हमारे राज्य में IT उत्पाद के उपभोक्ता हैं। हमारे यहाँ मोबाइल फोन और अन्य Electronic Item यथा कम्प्यूटर, टेलीविजन आदि का बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है। अतः आपसे अनुरोध है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के Make in India कार्यक्रम के तहत इन उत्पादों का Make in Bihar कार्यक्रम आपके द्वारा चलाया जाए और इसमें जापानी एवं कुरियन कम्पनियों के सहयोग एवं उनके तकनीक से बिहार में इन उद्योगों की स्थापना कराई जाए।

इस संबंध में यह भी प्रासंगिक है कि बिहार सरकार की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 औद्योगिकरण के लिए आकर्षक हैं लेकिन इसमें भारत सरकार के द्वारा इन उत्पादों के लिए लगाये जाने वाले उद्योगों के लिए कम-से-कम पाँच वर्षों के लिए केंद्रीय उत्पाद कर से छूट दिलाने की पहल की जाए जिससे देश के बाहर के उद्यमी राज्य में इन उद्योगों की स्थापना के लिए आकर्षित हो सकें।

चूँकि हम व्यवसायी हैं, इसलिए आपकी उपस्थिति का लोभ संवरण नहीं करते हुए आपके विभाग से संबंधित कुछ विन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए उसके समाधान के लिए आग्रह करता हूँ :-

1. आज सूचना क्रान्ति से समाज के सम्पूर्ण कार्यकलाप प्रभावित हुए हैं। e-learning, e-health, e-commerce, e-governance, उद्योग, अनुसंधान व विकास, संगठन सबके क्षेत्र में कायापलट कर रहा है। आज व्यापार और वाणिज्य में सूचना का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है, इसीलिए इसे सूचना अर्थव्यवस्था या ज्ञान अर्थव्यवस्था भी कहने लगे हैं, परन्तु बिहार के परिपेक्ष्य में हम अभी भी सूचना का मूल तंत्र Broad Band का भी सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

2. बिहार के ग्रामीण क्षेत्र जो कृषि आधारित हैं सूचना एवं तकनीकी ज्ञान के न होने के कारण पुपने तरीके से ही कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। सूचना एवं संचार क्रान्ति के द्वारा इन किसानों को नई तकनीक और विधि से खेती कर अपना और अपने राज्य को सुदृढ़ करने में योगदान दे पाएंगे। गाँव-गाँव तक सूचना प्रौद्योगिकी का पहुँचना ही असली सूचना क्रान्ति होगी।

3. पूर्व में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज को पोस्टल एडवाइजरी एवं टेलीफोन एडवाइजरी कमिटी में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। पिछले कुछ वर्षों से प्रतिनिधित्व नहीं है। अतः अनुरोध है कि प्रतिनिधित्व हेतु समुचित आदेश देने की कृपा करना चाहेंगे।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय ने माननीय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद जी का अभिनंदन करते हुए कहा कि श्री प्रसाद एक सक्षम व्यक्ति हैं, उनके मंत्रित्व एवं नेतृत्व में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एक कीर्तिमान स्थापित करेगा।

वरीय अधिवक्ता श्री एल० एन० रस्तोगी ने भी माननीय श्री रवि शंकर प्रसाद जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके सुनहरे भविष्य की कामना की।

अपने उद्बोधन में माननीय केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि मैं सिर्फ बिहार का नेता नहीं, बल्कि देश का संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

हूँ। बिहार के लिए मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँगा। यदि दिल्ली से काम अच्छा हो तो इसके लिए बिहार के मित्रों को भी ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य को सहायता देने में केन्द्र सरकार की एक सीमा होती है काम तो प्रदेश की सरकारों को करना होता है। यदि बिहार सरकार 50 एकड़ भी जमीन देगी तो हम 50 करोड़ रुपये का फंड अविलंब जारी कर देंगे। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री आवेदन लेकर हमारे पास आते हैं, लेकिन बिहार सरकार को इलेक्ट्रॉनिक कलस्टर देने के लिए हम तैयार बैठे हैं।

माननीय केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि बिहार के छोटे शहरों में बीपीओ खोलने की योजना है, ताकि यहाँ की प्रतिभा यहीं से शिक्षा ग्रहण करने के साथ प्रशिक्षण भी ले सकें। यहा एलईडी लाइट कंपनी खोलने की प्रक्रिया जारी है, ताकि पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके। इसके अलावा भागलपुर और दरभंगा में सॉफ्टवेयर पार्क बनाने की योजना है। उन्होंने केंद्रीय स्तर पर आईटी के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों और उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि जन-धन योजना के तहत भारत में एक सप्ताह में एक करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए जो दुनिया में अब तक ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए भारत को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जोड़ा गया है। बक्सर व मुजफ्फरपुर में नाइलेट सेन्टर खुलना है। उन्होंने कहा कि जमाना आईटी का है बिहार को भी अपनी सेवायें आईटी आधारित करनी होंगी।

माननीय केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि गरीबों के गुमशुदा बच्चे नहीं मिलते। इसके लिए 'लॉस्ट एण्ड फाउंड चिल्ड्रेन पोर्टल' शुरू की जाएगी। इसमें गुमशुदा बच्चों की जानकारी होगी और कोई भी इस पोर्टल में बच्चे की तस्वीर देखकर देश के किसी भी कोने में बच्चे की पहचान कर सकेगा। इसी प्रकार अवकाश प्राप्त अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रत्येक साल अपने जिंदा होने का प्रमाण देने स्वयं संबंधित ऑफिस में नहीं आना पड़ेगा, बल्कि वे दुनिया के किसी भी कोने से खुद के जिंदा होने का इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ई-एजुकेशन, ई-हेल्थ और ई-कॉमर्स के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से क्रान्ति लाने, कॉमन सर्विस सेन्टर स्थापित करने और हिन्दुस्तान को डिजिटली कनेक्ट करने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आईटी+आईटी = आईटी का नारा दिया है, जिसका मतलब है, इंडियाज टैलेन्ट + इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी = इंडिया टूमोरो।

इस अवसर पर चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं श्री मधुकर नाथ बरेरिया, कोषाध्यक्ष डॉ रमेश गाँधी, महामंत्री श्री ओ० पी० टिब्बटवाल, बिहार के चीफ पोस्टमास्टर जेनरल श्री ए०एस० प्रसाद, बीएसएनएल बिहार सर्किल के सीजीएम श्री शिवलाल सिंह तथा प्रधान महाप्रबंधक श्री एस० एस० चौधरी सहित चैम्बर के सदस्य तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधु काफ़ी संख्या में उपस्थित थे।

उक्त अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष ने माननीय मंत्री महोदय को शॉल, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही चैम्बर के प्लेटिनम जुबली के अवसर पर डाक विभाग द्वारा जारी डाक टिकट का एलबम भी उन्हें भेंट किया। महामंत्री श्री ओ०पी० टिब्बटवाल के धन्यवाद जापन के पश्चात् परिचर्चा सम्पन्न हुई।

माननीय वित्तमंत्री द्वारा बजट पूर्व विमर्श के लिये आयोजित बैठक में चैम्बर द्वारा जापान समर्पित

दिनांक 22 जनवरी, 2015 को माननीय वित्तमंत्री श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने 2015-16 के लिए बजट पूर्व परिचर्चा हेतु व्यापारियों एवं औद्योगिक संगठनों की बैठक आयोजित की। जिसमें बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने राज्य के आर्थिक विकास, औद्योगिकरण, उद्योग एवं व्यवसाय से जुड़े हुए कानूनों में विसंगतियों से संबंधित एक विस्तृत जापान समर्पित कर माननीय वित्तमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराया। जापान के मुख्य विन्दु निम्नांकित हैं:-

- दीक्षा-पहलेजा एवं मुंगेर रेल-सह-सड़क पुल को शीघ्रतापूर्वक चालू कराने के सम्बन्ध में।
- बजट में उद्योग विभाग का Allotment अधिक करने के सम्बन्ध में।
- प्रोत्साहन / प्रतिपूर्ति राशि को On Line Credit करने के सम्बन्ध में।
- उद्योगों के खिलाफ FIR दाखिल करने के दुरुपयोग के सम्बन्ध में।
- आधुनिक प्रयोगशाला बनाने के संबंध में।
- उद्योग के उपयोग हेतु भूमि के समुचित उपलब्धता के संबंध में अनुरोध।

- Single Window System को कारगर करने के संबंध में।
 - रूग्ण इकाईयों का पुनर्वास के संबंध में।
 - उद्योगों को Compounding की सुविधा देने के संबंध में।
 - राज्य के सभी जिलों में उद्योग विकसित करने के सम्बन्ध में।
 - चाय उद्योग के लिए अलग से प्रोत्साहन नीति तैयार करने के संबंध में।
 - वाणिज्य-कर की नीतियों से संबंधित समस्याओं के संबंध में।
 - व्यवसायियों के कल्याण हेतु "व्यवसायी कल्याण कोष" के सृजन के संबंध में।
 - प्रवेश-कर से संबंधित समस्याओं के संबंध में।
 - घोषणा प्रपत्र से संबंधित समस्याओं के संबंध में।
 - चेकपोस्ट से संबंधित समस्याओं के संबंध में।
 - समुचित औद्योगिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये निर्वाह विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के संबंध में।
 - बिहार राज्य पावर (होल्टिंग) कारपोरेशन द्वारा AMG/MMG पुनः चार्ज करने के संबंध में।
 - पर्यटन उद्योग के अन्तर्गत होटलों को MMG/AMG से छूट देने के संबंध में।
 - महात्मा गाँधी सेतु, पटना एवं राजेन्द्र सेतु, मोकामा की मरम्मती जल्द कराने के संबंध में।
 - गैस पाइपलाइन एवं आवास से संबंधित मुद्दे
- उक्त बैठक में चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह, पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, चैम्बर के वेट सब-कमिटी के चेयरमैन श्री डी. बी. गुप्ता, पूर्व उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन, श्री नवीन कुमार मोटानी, श्री विशाल टेकरीवाल एवं श्री अरविन्द मिश्र उपस्थित थे। (ज्ञापन को प्रति चैम्बर से प्राप्त की जा सकती है।)

जीएसटी पर बिहार की आपत्ति

बिहार सरकार ने केंद्र पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के माध्यम से राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता छीनने का आरोप लगाया है। राज्य के वित्त मंत्री विजेंद्र यादव के मुताबिक जीएसटी आने के बाद से राज्य पैसों के लिए केंद्र पर निर्भर हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कटौती से होने वाले घाटे की भरपाई करने की मांग भी की।

यादव ने बजट पूर्व मंत्रणा बैठक में जीएसटी का विरोध किया। यह पहली बार है, जब बिहार ने जीएसटी का विरोध किया है। इससे पहले राज्य सरकार लगातार इस प्रस्तावित कर का समर्थन करती आई है। श्री यादव ने कहा, 'राज्य सरकार अपने स्तर पर कर से कमाई बढ़ाने की भरपूर कोशिश कर रही है। इस साल हम अब तक 24,000 करोड़ रुपये कर का संग्रहण कर चुके हैं। हालाँकि अब केंद्र सरकार की अवधारणा पर काम कर रही है। इसकी वजह से कुछ दिनों के बाद राज्य पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर हो जाएगा। हमारी हालत नगर निगम की तरह हो जाएगी और हमें अब केंद्र सरकार से पैसों पर आश्रित रहना पड़ेगा।' केंद्र सरकार अगले साल से जीएसटी को लागू करने की योजना बना रही है। इसके तहत कारोबारियों को 16 अलग-अलग केंद्रीय और राज्यों के करों की जगह सिर्फ जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। इसमें केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर, प्रवेश कर और मूल्य वृद्धि कर (वैट) जैसे अहम कर भी शामिल हैं। इसमें वस्तुओं और सेवाओं पर करों के अंतर को खत्म करने में सहाय्यता होगी। हालाँकि इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार को लोकसभा में दो तिहाई बहुमत की जरूरत होगी। साथ ही, देश के कम से 50 फीसदी विधानसभाओं से भी इसे मंजूरी मिलनी चाहिए तभी यह कर मूर्त रूप ले सकेगा। कई राज्य और राजनैतिक दल जीएसटी का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कटौती से होने वाले घाटे की भरपाई करने की भी मांग की है।

बिहार ने डीजल पर बढ़ाया कर : राज्य सरकार ने डीजल पर दो फीसदी कर बढ़ाने का फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल समन्वय विभाग के प्रधान सचिव बी. प्रधान ने बताया, 'मंत्रिपरिषद ने एक अहम फैसले के तहत राज्य में डीजल पर कर में दो फीसदी का इजाफा करने का फैसला लिया है। अब राज्य में 18 फीसदी की दर से डीजल पर कर लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने सितम्बर, 2012 में पेट्रोलियम उत्पादों की ऊँची कीमत को देखते हुए इसे घटाकर 16 फीसदी कर दिया था।' कर बढ़ाने से सरकारी खजाने में हरेक महीने 26 करोड़ रुपये अतिरिक्त आएंगे।

(साभार : विज्ञान स्टैंडर्ड, 14.1.2015)

चैम्बर प्रतिनिधिमंडल प्रधान मुख्य आयुक्त आयकर से मिला

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह के नेतृत्व में चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल प्रधान मुख्य आयुक्त आयकर श्री एस. टी. अहमद, IRS से दिनांक 16 जनवरी, 2015 को मिला। चैम्बर अध्यक्ष श्री साह ने प्रधान मुख्य आयुक्त आयकर का पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका अभिनन्दन किया। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया, कोषाध्यक्ष डॉ. रमेश गाँधी, महामंत्री श्री ओम प्रकाश टीबडेवाल, पूर्व महामंत्री श्री ए. के. पी. सिन्हा, पूर्व उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री विशाल टेकरीवाल सम्मिलित थे।

आयकर विभाग अब छापेमारी की सूचना सार्वजनिक नहीं करेगा

बिहार में आयकर की चोरी करने वालों के ठिकानों पर छापेमारी की सूचना सार्वजनिक नहीं की जाएगी। आयकर विभाग का पटना कार्यालय मीडिया को अब आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी नहीं देगा। विभाग के अधिकारियों की मानें, तो यह नई व्यवस्था की गई है।

बिहार के प्रधान मुख्य आयुक्त-सह-डीजी (अन्वेषण) एसटी अहमद ने कहा कि सरकार का नया सर्कुलर आया है। इसके तहत वे या यहां के दूसरे कोई भी पदाधिकारी मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। न आधिकारिक तौर पर और न ऑफ द रिकॉर्ड। दिल्ली में विभाग के नोडल ऑफिसर ही मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत हैं। प्रधान मुख्य आयुक्त आयुक्त ने कहा कि आयकर विभाग एक इंफोसमेंट एजेंसी है और उसका ऑपरेशन गोपनीय होता है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 10.1.2015)

टैक्स दर बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं अरुण जेटली

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि एनडीए सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए टैक्स की दरें ऊंची करने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा, सरकार चाहेगी कि लोगों की जेब में ज्यादा पैसा बचे, जिससे वे खर्च करें और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन मिले। जेटली ने बजट की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने का वादा करते हुए कहा, जनता को सरकार की वित्तीय स्थिति की वास्तविक जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा, एनडीए सरकार ने पिछले बजट में आयकर छूट की सीमा दो से बढ़ाकर ढाई लाख कर दी थी। जेटली अपना पहला पूर्ण बजट अगले महीने लोकसभा में पेश करेंगे। उन्होंने कहा, आज दुनिया में निवेशकों के लिए तमाम विकल्प खुले हैं। ऐसे में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए एक ऐसी टैक्स प्रणाली जरूरी है, जो प्रतिस्पर्धी, आक्रामकता से मुक्त और संतुलित हो। (साभार : हिन्दुस्तान, 18.1.2015)

रोड परमिट रोका

वाणिज्य कर विभाग ने टैक्स बकाया होने के कारण राज्य के लगभग एक हजार व्यापारियों के रोड परमिट पर रोक लगा दी है। विभाग ने व्यापारियों से कहा है कि वे जल्द से जल्द बकाया टैक्स जमा कर दें। जब तक बकाया जमा नहीं करेंगे, तब तक परमिट लॉक रहेगा। इस बीच अगर व्यापारी बिना परमिट के सामान मंगवाता है तो उस पर पेनॉल्टी लगेगी, प्राथमिकी भी दर्ज होगी। (साभार : हिन्दुस्तान, 17.1.2015)

किराएदार है तो डेढ़ गुना होल्टिंग टैक्स

राज्य सरकार ने सूबे के नगर निकायों में होल्टिंग टैक्स के प्रावधानों में व्यापक परिवर्तन किया है। अब उसी दर पर वसूली आरंभ की जा रही है। टैक्स की वसूली किस आधार पर हो इसके लिए विभिन्न निर्णयों के हवाले से समेकित आदेश जारी किया गया है। शहरी निकायों में किराए पर मकान-जमीन देते हैं तो डेढ़ गुना अधिक होल्टिंग टैक्स देना पड़ेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था पर पाँच फीसद की छूट मिलेगी। (विस्तृत : दैनिक जागरण, 15.1.2015)

परिवर्तन शुल्क दें, संपत्ति को लीज से फ्री होल्ड कराएं

बिहार राज्य आवास बोर्ड अपने भवन आवंटियों को बड़ी राहत देगा। बोर्ड के फ्री होल्ड के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद परिवर्तन शुल्क को लेकर भवनों और जमीनों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड किया जाएगा, यानी उनका आवंटन स्थाई होगा। अब तक ये लीज पर आवंटित थे। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद बोर्ड परिवर्तन शुल्क लेने के तरीके का माडल बना रहा है। (विस्तृत : दैनिक भास्कर, 8.1.2015)

रोड टैक्स नहीं बढ़ा तो घट सकता है बस भाड़ा

अगले महीने बस भाड़ा में 5 से 7 प्रतिशत तक की गिरावट होगी। बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने बस भाड़ा घटाने का संकेत दिया है। पेडरोशन का कहना है कि अगर बजट में रोड टैक्स बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो निश्चित रूप से बस भाड़े में गिरावट होगी।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 18.1.2015)

कर प्रणाली में पारदर्शिता जरूरी

देश में आर्थिक सुधार लागू हुए ढाई दशक होने को हैं लेकिन कर प्रणाली अब भी अनुदार बनी हुई है। इसका कारण है कि कर प्रणाली को बदलने को लेकर सुविधावादी रवैया अपनाया गया। इस दौरान कर की दरों में कमी या नये प्रकार के कर को ही कर प्रशासन में सुधार मान लिया गया।

जीएसटी उन चुनिन्दा बड़े सुधारों में से एक है, जिनमें व्यापक परिवर्तन की सम्भावना छिपी है। यदि उसे सही तरीके से और पूरी तरह लागू किया गया तो वह देश को पहली बार एकल बड़े बाजार में बदल देगा। वह कर सम्बन्धी कारणों से खाद्य महंगी में आने वाली तेजी को भी नियन्त्रित करेगा। जीएसटी से पारदर्शिता आयगी और इसका अनुपालन सरल होगा। ऐसा होने से कर का दायरा बढ़ेगा और कर वचना के मामलों में कमी आयगी। राज्यों को भी सेवाओं पर कर लगाने का मौका मिलेगा और देश की कर व्यवस्था का आधुनिकीकरण होगा। इसे देखते हुए राज्यों की आपत्ति अपने आप दूर हो जायेगी।

(विस्तृत : आज, 18.1.2015)

बजट में आभूषण उद्योग को तोहफा!

रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को अगले महीने पेश होने वाले आम बजट में कुछ रियायतें दी जा सकती हैं। इस क्षेत्र का देश के कुल निर्यात में उल्लेखनीय योगदान है और सरकार ने इसे मेक इन इंडिया अभियान के तहत 25 प्रमुख क्षेत्र के तौर पर शामिल किया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारामन ने संकेत दिया कि इस क्षेत्र को जल्दी ही कुछ प्रोत्साहन मिल सकता है। हाल ही में मेक इन इंडिया कार्यशाला में इस क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई और वाणिज्य सचिव राजीव खेर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संबंध में प्रस्तुति दी। सीतारामन ने कहा, 'इस क्षेत्र में निर्यात की अपार संभावनाएं हैं और मुझे उम्मीद है कि प्रस्तुति के कुछ सुझाव बजट में शामिल किए जा सकते हैं।' उन्होंने कहा, 'मेक इन इंडिया का लक्ष्य है कारोबार करने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए लाखों से भारत की रैंकिंग में सुधार करना और विनिर्माण प्रोत्साहन तथा निर्यात को प्रोत्साहित कर इसमें सुधार लाना है।'

(साभार : बिजनेस स्टैंडर्ड, 17.1.2015)

मंत्रालयों के बजट में हो सकती है 20 फीसदी कटौती

वित्तीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.1 प्रतिशत पर सीमित रखने का लक्ष्य हासिल करने को लेकर कड़े रुख अपना रही नरेंद्र मोदी सरकार विभिन्न सरकारी विभागों के योजनागत आवंटन में बड़ी कटौती कर सकती है।

वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.1 फीसदी रखने की कवायद

• कुछ गैर योजनागत व्यय में 10 प्रतिशत कटौती के बाद मंत्रालयों को योजनागत व्यय घटाने को कहा गया • प्रमुख आर्थिक व बुनियादी ढांचा मंत्रालयों में औसतन 20 प्रतिशत योजनागत बजटीय समर्थन की कटौती • विभिन्न मंत्रालयों के लिए कटौती की मात्रा अलग अलग • वित्त वर्ष 15 में योजनागत बजटीय समर्थन का आवंटन केंद्रीय विभागों के लिए करीब 2.37 लाख करोड़ रुपये • 20 प्रतिशत कटौती से हो सकती है करीब 47,000 करोड़ रुपये की बचत • कृषि मंत्रालय के योजनागत व्यय में कटौती करीब 12-13 प्रतिशत, शहरी विकास व ग्रामीण विकास में हो सकती है 20 प्रतिशत कटौती • जिन मंत्रालयों ने आवंटित धनराशि खर्च कर दी है या करीब खर्च दिया है, उन्हें व्यय विभाग से धन वापस नहीं किया जाएगा।

(विस्तृत : बिजनेस स्टैंडर्ड, 10.1.2015)

दस लाख से ज्यादा नकदी रखने पर रोक लगेगी

कालेधन के खिलाफ जंग में मोदी सरकार नकद राशि की सीमा निर्धारित करने का हथियार इस्तेमाल कर सकती है। आयकर विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसके तहत कोई शख्स 10 लाख रुपये तक की नकद राशि ही घर में रख सकेगा या अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकेगा। फिलहाल ऐसी कोई सीमा न होने से जांच एजेंसियों को पृथक् पृथक् दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

एसआईटी के सूत्रों ने बताया कि साधारण व्यक्ति की दैनिक जरूरतों का अध्ययन करने के बाद यह सीमा तय की गई है। सूत्रों की मानें तो तय सीमा से अधिक नकद राशि बरामद होने पर सख्त सजा के प्रावधान पर भी विचार किया जा रहा है। यह प्रस्ताव सरकार आगामी बजट में पेश कर सकती है। पिछले माह सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी ने जो सुझाव दिए थे यह उसी का हिस्सा है।

1 लाख की खरीदारी पर पैन : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एक लाख रुपये से अधिक की खरीदारी पर पैन नंबर देना अनिवार्य कर सकता है। पैन कार्ड नहीं होने पर आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र देना होगा। (साभार : हिन्दुस्तान, 19.1.2015)

निम्नलिखित की विस्तृत जानकारी चैम्बर में उपलब्ध है :-

1. मध्यम वर्ग की चिंताओं पर ध्यान दिया जाना जरूरी (छोटे आयकरदाताओं की अपेक्षाएं पूरी की जाएं)
2. पूंजीगत लाभ पर कर कैसे बचाये?
 - "पूंजी संपत्ति" का अर्थ {धारा 2 (14)}
 - Inflation Index के अनुसार समायोजित लागत
 - दीर्घकालीन आवासीय संपदा के विक्रय पर लाभ (धारा -54)
 - कृषि भूमि के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ (धारा 54 B)
 - भूमि एवं भवन के अनिवार्य अधिग्रहण पर पूंजीगत लाभ (धारा 54 D)
 - कुछ निश्चित बॉण्ड्स में विनियोग पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की छूट (धारा 54 EC)
 - कुछ दीर्घकालिक पूंजी संपत्तियों के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ यदि प्रतिफल को आवासीय मकान में विनियोग किया गया हो (धारा 54 F)
 - शहरी क्षेत्र से किसी औद्योगिक इकाई के स्थानांतरण की दशा में पूंजीकृत लाभ (धारा 54 G)
 - रिहायशी संपत्ति के हस्तांतरण पर दीर्घाविधि पूंजीगत लाभ कर से राहत यदि उसका विनियोग किसी लघु या मध्यम निर्माण इकाई में किया गया हो (धारा 54 GB)
 - नयी संपत्ति के अधिग्रहण अथवा पूंजीगत लाभ की राशि के जमा या विनियोग के लिये समय-सीमा में वृद्धि (धारा 54 H)
3. पूंजीगत लाभ खाता योजना
4. कृषि आय पर प्रावधान
5. निर्णय सारांश :- कमीशनर ऑफ इन्कम टैक्स v/s सत्यप्रकाश (2014) 269 CTR 466, राजस्थान। इन्कम टैक्स छापे में पकड़ी गई ज्वैलरी के सम्बन्ध में। (साभार : टैक्स पत्रिका, जनवरी, 2015)

1. मुकदमेबाजी से मुक्त वसीयत लिखनी जरूरी

- मेडीकल रिकार्ड मांगा जा सकता है
 - कौन सा नियम लागू होगा
 - वसीयत उत्तराधिकार भी तय करती है
 - परिसंपत्तियों का ब्योरा
 - वसीयत का पंजीयन
 - अपडेट करना
 - लागू कराने वाला
 - गवाह
 - वीडियो रिकार्डिंग
 - पुरानी वसीयत की प्रति
 - कदम सही उठाएं
2. वेतन से पीएफ कटौती में मिल सकती है छूट
 3. पुराने भविष्य निधि कानून में बदलाव का प्रस्ताव
 4. कम हॉग ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य
 5. नियोक्ता पर बढ़ेगा जुर्माना
 6. ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी हो सकता है पैन।

(साभार : साप्ताहिक व्यापार समाचार, हापुड़, 4 जनवरी, 2015)

मालासलामी से फिर चलेंगी बसें

मालसलामी बस स्टैंड का कायाकल्प कर फिर से यहाँ से गांधी मैदान व पटना जंक्शन के लिए 25 बसें शुरू की जाएगी। बस सेवा मार्च से शुरू होगी।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 19.1.2015)

भारत पर 68 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज

भारत पर इस समय करीब 68 अरब डॉलर (4207 अरब रुपये) का विदेशी कर्ज है। इस ऋण का बहुत बड़ा हिस्सा सरकार ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ले रखा है। आरटीआई कानून के तहत यह जानकारी प्राप्त हुई है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 19.1.2015)

बिहार में 20 नए ब्रांच खोलेगा यूनिजन बैंक

यूनिजन बैंक ऑफ इंडिया आगामी 70 दिनों के अंदर 20 नए ब्रांच बिहार में खोलेगा। इसके साथ ही पटना में यूनिजन बैंक का पहला टॉकिंग एटीएम स्थापित होगा, जिससे निःशुल्क उपभोक्ताओं को राशि की निकासी में सुविधा होगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 17.1.2015)

चेक बाउंस हो तो करें यह उपाय

पिछले कुछ वर्षों में चेक बाउंस होने की घटनाएँ तेजी से बढ़ी हैं जिसके चलते भारतीय रिजर्व बैंक ने नियम भी सख्त किए हैं। लेकिन इसके बाद भी ऐसी घटनाएँ धम नहीं रहें और देश की अदालतों में चेक बाउंस होने के हजारों मामले चल रहे हैं। आइए देखें कि चेक बाउंस होने की स्थिति में चेक पाने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए : (1) किन कारणों से बाउंस होता है चेक (2) चेक बाउंस होने पर क्या करें? (3) क्या है नियम।

चेक खोने पर क्या करें : अक्सर देखा जाता है कि बैंक के ड्राप बाक्स में चेक डाला जाता है वह क्या जाता है। ऐसी स्थिति में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय नियमों में कहा गया है कि चेक खोने की पूरी जिम्मेदारी बैंक की है। चेक जारी करने वाले व्यक्ति से दूसरा चेक हासिल करने, खोए हुए चेक का पेमेंट स्टॉप कराने और दूसरा चेक हासिल करने में जो भी देरी होती है उस अवधि का ब्याज भी बैंक को ही देना होगा। अगर क्लियरिंग के लिए भेजा गया चेक कहीं गुम हो जाता है और इससे कोई व्यक्ति भुगतान निकाल लेता है तो बैंक को जिम्मेदारी है कि ब्याज सहित पूरी रकम वह अपने ग्राहक को लौटाए।

(विस्तार : राष्ट्रीय सहरा, 19.1.2015)

सस्ती होगी ब्याज दरें!

लंबे समय से सस्ते कर्ज की बात जोह रहे उद्योग जगत और होम लोन बोरोंवर्स को आरबीआई गवर्नर ने बजट के एक महीने पहले रेपो रेट में कटौती का गिफ्ट दे दिया है। बवार्टर रिज्यू के दौरान आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने रेपो रेट में 0.25 परसेंट की कटौती का ऐलान किया।

उद्योग जगत के अनुसार आरबीआई का यह कदम उसकी नीतियों में अहम बदलाव का संकेत है। रेपो रेट में 0.25 परसेंट की कटौती होने से अब ब्याज दरों में कटौती का दौर शुरू होने को उम्मीद है। यदि ऐसा होता है तो मांग की कमी झेल रहे उद्योग जगत को डिमांड का बड़ा बूस्ट मिलेगा। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था में निवेश साइकिल भी घूमेगी, जिससे विकास दर को रफ्तार मिलेगी। अब रेपो रेट 8 परसेंट से घटकर 7.75 परसेंट हो गई। आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती का ऐलान करने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने कहा कि इस कदम से निश्चित तौर पर निवेश के माहौल को बूस्ट मिलेगा, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव होगा।

कई सेक्टरों को मिलेगा बूस्ट : आरबीआई के इस कदम से सबसे ज्यादा फायदा ब्याज दरों से सेंसिटिव इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल और हाउसिंग सेक्टर को मिलने वाला है। जिस तरह बैंक संकेत दे रहे हैं, उसे देखते हुए ब्याज दरों में 0.50 परसेंट तक कटौती हो सकती है। जिससे मांग बढ़ने से देश में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को रफ्तार मिलेगी। इसके अलावा इन्फ्रास्ट्रक्चर के अटके प्रोजेक्ट को भी बूस्ट मिलेगा।

ये हो सकता है असर : • रेपो रेट कम होने से बैंकों पर दबाव कम होगा, जिसका असर ये होगा कि वे ब्याज दरों में कटौती कर सकते हैं। ऐसा होने से बैंकों से लिए गए कर्ज पर चुकाई जाने वाली मासिक किस्तों में कुछ कमी हो सकेगी। • बैंक आम ब्याज दरों में कटौती करते हैं तो उत्पादन क्षेत्र की कंपनियों को बतौर ब्याज कम पैसे देने होंगे जिससे उनकी लागत में कमी आएगी और उनका मुनाफा बढ़ेगा, कर्ज में डूबी कंपनियों को थोड़ी राहत मिलेगी। • कंपनियाँ व्यवसायिक होड़ में टिके रहने के लिए कीमतों में कटौती कर सकती है, जिससे औद्योगिक उत्पादों के दाम कुछ कम हो सकते हैं। • बैंक रियल एस्टेट में अधिक पैसे देना चाहेंगे, इससे घर के लिए कर्ज

लेना आसान होगा। • बैंक नकद रकम बढ़ा सकते हैं। बाजार में अधिक पैसे होंगे और अधिक पैसे की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर हो सकता है। • किस्त में कटौती से खर्च के लिए घरेलू आय बढ़ेगी। सभ्रव है कि मांग बढ़ने से महंगाई दर भी बढ़े, लेकिन यह इकोनॉमी को आगे ले जाने में मदद करेगा।

(साभार : आई नेकट, 16.1.2015)

बिहार में 50 लाख तक के लोन देने के लिए बैंक खुलेंगे

आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक एम. के. वर्मा ने कहा है कि 50 लाख तक लोन देने के लिए स्माल फाइनांस बैंक खुलेंगे। इसके लिए उनको 100 करोड़ तक की पूंजी की दरकार होगी। इस तरह के बैंक खोलने के लिए 2 फरवरी तक आवेदन लिया जाएगा।

आरबीआई कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में श्री वर्मा ने कहा कि शर्त यह होगी कि इन बैंकों को एक-चौथाई शाखाएँ गांवों में खोलनी होंगी। ये बैंक सिर्फ लोन ही दे सकेंगे। उनको जमा लेने का अधिकार नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि राज्य में पेमेंट बैंक भी खुलेंगे। इसका लाभ दूसरे राज्यों में रह रहे लोग पैसे भेजने के लिए कर सकेंगे। इसमें सिर्फ जमा होगा। सावधि जमा नहीं होगा। लोन भी नहीं दे सकेंगे। ये अपना धन सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशकर उससे लाभ कमा सकेंगे। वर्ष 2016 तक दो हजार से कम आबादी वाले 27, 273 गांवों में बैंकिंग सुविधा की जरूरत होगी। गांवों में बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने के लिए आरबीआई ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है।

अन्य खास घोषणाएँ : • एनबीएफसी भी न्हाइट लेवल एटीएम खोल सकेंगे। मुशुट, टाटा, कोटक जैसी कंपनियों के 65 एटीएम राज्य में खुल चुके हैं। • पांच प्रसिद्धि से अधिक बिहार में एनपीए। अब 90 दिन नहीं बल्कि पहला किस्त भी नहीं देने पर पांच करोड़ से ऊपर के कर्जदाता नन कोऑपरेटिव बोरोर आघोषित होंगे। • केवाईसी के लिए फोटो और पता के लिए अलग-अलग पहचान पत्र जरूरी नहीं। आधार कार्ड या फोटो मतदाता पहचान पत्र से काम चल जाएगा। • पटना में जल्द लगने 15 से 20 और क्यायन वेडिंग मशीन। इनमें कुछ मॉल में भी लगेंगे। लोग मशीन में नोट डालकर सिक्का ले सकेंगे। • यदि कोई एटीएम अक्सर खराब रहता है तो आरबीआई से करें शिकायत।

बैंकिंग गड़बड़ी मामलों के लिए होगा अलग कोर्ट : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के खिलाफ बड़ी संख्या में गड़बड़ी की शिकायतों के मद्देनजर उनकी नकल कसने की तैयारी कर ली गई है। सरकार इसके लिए हर जिले में बैंकिंग धोखाधड़ी के मामलों की सुनवाई के लिए अलग कोर्ट शुरू करेगी। यह जानकारी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक एम. के. वर्मा ने दी।

श्री वर्मा ने कहा कि किसी एनबीएफसी के खिलाफ शिकायत मिलने पर इस कोर्ट को उनकी तलाशी और संपत्ति जब्ती का भी अधिकार होगा। बिहार के मुख्य सचिव ने इस बाबत आश्वासन दिया है। नई अदालत खोलने के लिए शीर्ष कोर्ट की इजाजत जरूरी होती है, इसलिए राज्य सरकार ने इसका प्रस्ताव हाईकोर्ट को भेजा है। पूर्ण कोर्ट शुरू होने के पहले हाईकोर्ट की इजाजत मिली तो फिलहाल किसी मौजूदा कोर्ट में भी ऐसे मामलों की सुनवाई हफ्ते में किसी दिन हो सकती है।

उन्होंने कहा कि जनधन योजना के तहत बिहार में 31 दिसम्बर तक 77 लाख खाते खुले। यह योजना 'फ्लाइंग बैंक' (रातों रात भागने वाली) एनबीएफसी के खिलाफ भी एक अस्त्र है। पटना आरबीआई के प्रबंधक प्रवीण कुमार भी मौजूद थे। श्री वर्मा ने कहा कि एनबीएफसी के लिए नवम्बर 2014 से पुनः रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस शुरू हो गया है। इसके लिए दो करोड़ की पूंजी जरूरी है। साथ ही उनके लिए 15 फीसदी कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो जरूरी होगा। (साभार : हिन्दुस्तान, 15.1.2015)

गले की फांस बना एनपीए

प्रधानमंत्री जन-धन योजना में दस करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुलने से जहाँ सरकार खुश है, वहीं बैंकों में बढ़ती एनपीए ने मुश्किलें खड़ी कर दी है। बैंक अनेक बड़े बकायादारों से सख्ती नहीं कर पाते हैं और कुछ साल बाद इस रकम को बट्टे खातों के डाल दिया जाता है जिसे 'एनपीए' कहा जाता है।

एनपीए से न सिर्फ बैंकों के मुनाफे की क्षमता पर असर पड़ता है, बल्कि नये कर्ज देने के लिए मौजूदा धन की मात्रा भी घट जाती है। एनपीए की समस्या बढ़ाने में मुख्य योगदान ऐसे रसूखदार लोगों का है जो जानबूझ कर बैंकों से मोटा कर्ज लेकर

पैसा कहीं और लगा देते हैं या जिस परिस्थिति के लिए कर्ज लेते हैं उसे ही बेच देते हैं। सबसे बढ़कर यह धनराशि लाख-दो लाख न होकर हजारों करोड़ रुपये में होती है। ऐसे लोग अपनी कम्पनियों के घाटे में जाने का बहाना बनाकर बैंकों का कर्ज नहीं चुकाते हैं जिससे बैंकों पर एनपीए का बोझ बढ़ता जा रहा है। (विस्तृत : अजय, 9.1.2015)

नये उद्योगों को मिलेगी बिजली सब्सिडी

राज्य सरकार नये उद्योगों को बिजली सब्सिडी देगी। साथ ही 2011 के बाद लगी औद्योगिक इकाइयों को भी साल भर तक बिजली मुफ्त मिलेगी। सरकार इन इकाइयों को बिजली सब्सिडी का पैसा चेक के माध्यम से भुगतान करेगी। इसके लिए सरकार ने उद्योग विभाग को 15 करोड़ रुपये जारी कर दिये हैं। कैबिनेट से इसकी स्वीकृति 19 अगस्त, 2014 को ही मिल गयी थी। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2011 में औद्योगिक नीति बनायी थी। इसके तहत ही बिजली सब्सिडी देने का प्रावधान है। राज्य में 2011 के बाद 667 नये लघु व मध्यम और आधा दर्जन बड़े उद्योग खुले हैं। इन उद्योगों को मासिक 62 से 80 लाख रुपये का बिजली बिल भुगतान करना पड़ता है। विद्युत सब्सिडी का लाभ विद्युत हस्तकरधा, राइस मिलरों व फूड प्रोसेसिंग उद्योगों और अन्य उद्योगों को मिलेगा। उद्योग विभाग ने सब्सिडी देने के पहले पावर होल्डिंग कंपनी के अधिकारियों से बिजली बिलिंग, मासिक मिनिमम चार्ज, मिनिमम चार्ज, मिनिमम बेस एनर्जी चार्ज, बिलिंग डिमांड, मिनिमम गारंटी आदि की विस्तृत जानकारी लेने का निर्देश दिया है। (साभार : प्रभात खबर, 19.1.2015)

राइस मिलर 15 को शुरू करेंगे आंदोलन

सूबे के राइस मिलर 15 फरवरी से प्रदेश के जिलों में धरना, प्रदर्शन के माध्यम से चरणबद्ध आंदोलन करेंगे।

यह निर्णय बिहार राइस मिलर्स एसोसिएशन की पटना में हुई बैठक में लिया गया। यह जानकारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राम कुमार झा ने दी। उन्होंने बताया कि मिलिंग चार्ज, हथालत एवं परिवहन शुल्क के समायोजन समेत सात सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के स्तर पर कई बार वार्ता हो चुकी है। इसके बावजूद उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। बैठक में तय किया गया कि 14 फरवरी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 15 फरवरी से पांच मार्च तक पटना समेत प्रदेश के सभी जिलों में धरना, प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद पांच मार्च से बीस मार्च के बीच राजधानी में राज्यस्तरीय रैली और प्रदर्शन किया जाएगा। (राष्ट्रीय सहाय, 19.1.2015)

बुनकर कल्याण को सुविधा केंद्र

राज्य सरकार शीघ्र ही सूबे के बुनकरों के कल्याण के लिए एक सुविधा केंद्र स्थापित करेगी। राज्य का पहला बुनकर सुविधा केंद्र भागलपुर में स्थापित किया जाएगा। हस्तकरधा निदेशक ने सुविधा केंद्र खोलने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य में इस केंद्र के स्थापित होने से प्रदेश के बुनकरों को काफी लाभ होगा। कपड़ों की छपाई एवं रंगाई प्रदेश में ही हो जाएगी।

हस्तकरधा निदेशक दिनेश प्रसाद का कहना है कि भागलपुर में राज्य का पहला बुनकर सुविधा केंद्र खोलने की तैयारी चल रही है। वे स्वयं भागलपुर जाकर इस संबंध में जांच-पड़ताल कर चुके हैं। अगले सप्ताह विभाग के अधिकारियों की दूसरी टीम भागलपुर जाएगी और सुविधा केंद्र खोलने की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। राज्य में बुनकर सुविधा केंद्र स्थापित होने से प्रदेश के बुनकरों को काफी लाभ होगा। इससे उनके वस्त्रों की गुणवत्ता काफी बढ़ जाएगी। अब तक राज्य के बुनकर वस्त्र की रंगाई एवं छपाई के लिए पश्चिम बंगाल पर निर्भर हैं। लेकिन सुविधा केंद्र स्थापित होने से कोई भी बुनकर अपने उत्पादों को यहां रंगाई व छपाई करवा सकता है। (विस्तृत : दैनिक जागरण, 19.1.2015)

औद्योगिक प्रदूषण के नियमों में ढील !

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने उद्योगों को पर्यावरण के अनुकूल उनके प्रदर्शन के स्व-नियमन और स्व-नियमन और स्व-प्रमाणन का अधिकार देने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पर्यावरण कानूनों के तहत लाइसेंस देने के अधिकार समाप्त करने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि कारोबार करने के उपाय सरल बनाने के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की योजना के तहत ये बदलाव किए जा रहे हैं। इस संबंध में 23 दिसम्बर को सभी राज्यों को दिए परामर्श में पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि बिजली आपूर्ति पाने के लिए कन्सेंट टू एस्टैब्लिश (सीटीई) पाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। (विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 14.1.2015)

Patna's horizontal growth 'landlocked', investors jitter

LITTLE HEADWAY Though state gov't admits inability to take proactive view on land acquisition for industry and real estate, it appears willing to purchase from those who offer land on MVR rates.

With government failing to make the desired headway on the issue of creation of land banks real estate sector has joined the industry in flagging the issue as a major stumbling block in the horizontal expansion of city limits and development of planned-integrated townships, despite the passage of building bylaws and implementation of proposed master plan.

INVESTMENTS JAMMED!

- Absence of land banks in the state hurting industry and realisation of huge investment potential
- Inhibiting estate, horizontal growth cities and development of integrated townships
- State forced to temper investment expectations, prunes SIPB- approved proposals to one sixth
- State reluctance to pitch in for land acquisition keeps landowners clinging on to their holdings
- offer to buy land on MVR not exciting for farmers, acquisition to fetch a minimum of 240%.

(Details : Hindustan Time, 19.1.2015)

बरौनी रिफाइनरी की बढ़ाई जाएगी उत्पादन क्षमता : गिरिराज

बरौनी रिफाइनरी की क्षमता का विस्तारीकरण किया जाएगा। इसकी उत्पादन क्षमता 9 से 12 मिलियन टन तक बढ़ाई जाएगी। इसके बाद पेट्रोकेमिकल्स का स्थापना का रास्ता खुल जाएगा।

ये बातें बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप परिसर में कन्वुनिटी हाल में श्रमिक विकास परिषद् की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कहीं। उन्होंने कहा कि हर हाल में बरौनी रिफाइनरी का विस्तारीकरण किया जाएगा।

राज्यमंत्री श्री सिंह ने कहा कि फर्टिलाइजर को जल्द ही चालू किया जाएगा। साथ ही, उन्होंने रिफाइनरी के निदेशक सजीव सिंह से कहा कि बरौनी रिफाइनरी और फर्टिलाइजर को जोड़ कर यहाँ नये उद्योगों की स्थापना की जाएगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 16.1.2015)

बिहार के 35 फीसदी उद्योग गंगा में फैला रहे प्रदूषण

बिहार के 35 फीसदी उद्योग गंगा के पानी को प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इनके कचरे में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) की मात्रा मानक से दोगुनी अधिक पाई गई है। उद्योगों से निकलने वाले वाटर में बीओडी का मानक तय किया गया है। मानक है प्रतिग्राम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा 30 माइक्रोग्राम होनी चाहिए।

रिपोर्ट में खुलासा : एक महीने में करना होगा सुधार नहीं तो बंद हो जाएंगे उद्योग • बीओडी का मानक 30 माइक्रोग्राम, है 60 से 66

73 उद्योग हैं बिहार में कुल	26 उद्योगों का पानी मानक से दोगुना	90 फीसदी उद्योगों का पानी कई नदियों में गिरता है।
-----------------------------	------------------------------------	---

सीवरेज से भी प्रदूषित हो रही गंगा : रिपोर्ट में यह बात खुलकर सामने आई है कि प्रदूषित गंगा के मुख्य कारणों में सीवरेज है। बिहार में उद्योगों की संख्या अधिक नहीं है। सीवरेज के कारण टोटल कॉलिफॉर्म नामक खतरनाक जीवाणुओं की संख्या अधिक है। जबतक सीवरेज का ट्रीटमेंट ठीक ढंग से नहीं पाए, गंगा प्रदूषित ही रहेगी। (विस्तृत : हिन्दुस्तान, 11.1.2015)

बिहार में होगा 25 हजार करोड़ का निवेश — धर्मद

बरौनी रिफाइनरी की क्षमता को छह मिलियन टन (प्रतिवर्ष) से बढ़ाकर अब नौ मिलियन टन किया जाएगा। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में दो नए बाटलिंग प्लांट लगेंगे। एक गोपालगंज या सिवान में और दूसरा गया के इर्द-गिर्द। पूर्वी राज्यों की सड़क निर्माण की जरूरतों के मद्देनजर बरौनी में बिटुमन का डेडिक्टेड प्लांट स्थापित होगा। पटना में पाइपलाइन से घरों में गैस की आपूर्ति होगी। रविवार को बरौनी रिफाइनरी की 50 वें स्थापना दिवस समारोह और पटना में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सेंट्रल पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मद प्रधान ने कहा कि बिहार के विकास को इन परियोजनाओं पर 25 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। छह साल में यह काम पूरा होगा। मई-जून तक इसकी नींव रखी जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 27 अक्टूबर को पटना की हुंकार रैली में ही राज्य की जनता से सूद के साथ लौटाने के वादे के साथ समर्थन मांगा था। पीएम ने बिहार को वही सूद लौटाना शुरू कर दिया है।

पेट्रोलियम हब बनेगी बरौनी : समारोह में उन्होंने बरौनी को पेट्रोलियम हब बनाने की बात कही। कहा कि आने वाले पाँच छह वर्षों में यहाँ 25 हजार करोड़ रुपये को निवेश होगा एवं पेट्रो केमिकल्स कांप्लेक्स की स्थापना की जाएगी। बरौनी खाद कारखाने का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। इससे पहले उन्होंने रिफाइनरी प्लांट के अंदर बीटीपी का उद्घाटन भी किया। धर्मेश प्रधान ने कहा कि हल्दिया-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन में 650 किलोमीटर पाइप बिहार से होकर गुजरेगी। बरौनी से नेपाल के बीच पाइप लाइन बिछाई जाएगी। वेगुसराय जिला में नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज भी खोला जाएगा।

(साभार : आई नैक्स्ट, 19.1.2015)

देवचा कोल ब्लॉक में बिहार को मिला दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा

केंद्र द्वारा आवंटित बंगाल स्थित देवचा पश्चिमी कोल ब्लॉक को विकसित करने को 6 राज्यों के बीच ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ।

कोल ब्लॉक को विकसित करने के लिए बिहार, बंगाल, पंजाब, यूपी, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं सतलज जल विद्युत निगम द्वारा एग्रीमेंट हुआ। बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित यह कोल ब्लॉक देश का सबसे बड़ा कोल ब्लॉक है, जिसमें अगले 25 वर्षों तक ताप विद्युत उत्पादन हेतु कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। इस कोल ब्लॉक में कोयले की कुल अनुमानित भंडार 2102 मीट्रिक टन है। इसमें बिहार के लिए कुल 486 मीट्रिक टन हिस्सा निर्धारित है। इससे बिहार के बक्सर, पीरपैती एवं कजरा ताप विद्युत गृहों से 3960 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा सकेगा। राज्य सरकार के अनुसार, इस कोल ब्लॉक में बिहार का पश्चिम बंगाल के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। इस एग्रीमेंट में मुख्यमंत्री जीवनराम मांझी की भूमिका अहम रही है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 9.1.2015)

ट्रांसमिशन कंपनी से आयोग ने पूछा : क्यों बढ़ाएं टैरिफ?

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने 2015-16 में बिजली देने के लिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से 60 पैसे प्रति यूनिट दर की मांग की है। इस पर बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने अपने सभागार में जनसुनवाई करते हुए कंपनी के अभियंताओं से पूछा कि क्यों बढ़ाएं टैरिफ। आयोग के अध्यक्ष यूपनू पांजयार ने कहा कि जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण में आपने 2013 में 9.30 करोड़, 2014 में 14.31 करोड़ खर्च किए, तो 2015 में 59.01 करोड़ खर्च कैसे करेंगे। वहीं, बीआइए के पूर्व महासचिव संजय भरतिया ने कहा कि नया ग्रिड बनाने के लिए राज्य सरकार ने पैसा अनुदान के तौर पर दिया है। इसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। उन्होंने आयोग से ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा 2015-16 में खर्च किए जाने वाले पैसे से राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान को घटाकर टैरिफ का आकलन करने का आग्रह किया। जनसुनवाई के दौरान बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य एससी झा ने कंपनी के अभियंताओं से आयोग के समक्ष विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है। आयोग के उपसचिव लक्ष्मण भगत, ट्रांसमिशन कंपनी के चीफ इंजीनियर केएन सिंह, वरीय इंजीनियर राकेश नाथ, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के इंजीनियर जयंत दूबे, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व महासचिव एकेपी सिन्हा, सदस्य उमेश पांडेय सहित बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के आधा दर्जन इंजीनियर मौजूद थे।

उपभोक्ताओं पर बढ़ाया भार : आयोग ट्रांसमिशन कंपनी की दर बढ़ाने की अगर इजाजत देता है, तो उसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अभियंताओं ने कहा कि अभी हमलोग ट्रांसमिशन कंपनी को 12 पैसे प्रति यूनिट देते हैं। आयोग ट्रांसमिशन कंपनी की टैरिफ दर बढ़ाता है, तो हमलोग उपभोक्ताओं की टैरिफ दर बढ़ा देंगे।

(साभार : दैनिक भास्कर, 11.1.2015)

गांधी सेतु चार साल के लिए हो सकता है बंद

जर्जर सेतु को नया जीवन देने की कवायद के तहत जापान की एजेंसी जाइका की प्रारंभिक रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री जीवन राम मांझी की अध्यक्षता में बैठक हुई। जाइका की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि गांधी सेतु को निचले हिस्से में किसी तरह की गड़बड़ नहीं है। सेतु के पूरे सुपर स्ट्रक्चर को बदल दिया जाए और एक-दो पाये को दुरुस्त कर दिया जाए तो इसे नई जिंदगी मिल जाएगी। पूरे काम में कम से कम चार साल लगेगे। इस अवधि में पुल पर सभी तरह के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।

जाइका की फाइनल रिपोर्ट फरवरी में आएगी। इसके बाद पथ परिवहन एवं

राजमार्ग मंत्रालय इस काम के लिए निविदा कर सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के स्तर पर होने वाली व्यवस्था पर बैठक की। उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच वाहनों का परिचालन प्रभावित नहीं हो, इसके लिए पीपा पुल की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।

पथ निर्माण मंत्री ललन सिंह ने बताया कि अधिकारियों को कहा गया है कि वे पीपा पुल के लिए जल्द जगह की तलाश करें। एक पीपा पुल पटना से हाजीपुर की ओर जाने के लिए और दूसरा हाजीपुर से पटना के लिए होगा। (हिन्दुस्तान, 11.1.2015)

एक तरफ मरीन ड्राइव, दूसरी तरफ 'मरीन' बन गया शहर

गंगा किनारे मरीन ड्राइव-वे-बनने का काम शुरू हो गया है। अब एक से दो साल में पटनाइट्स की रफ्तार और भी अधिक बढ़ जाएगी। दीघा से कच्ची दरगाह तक लंबे इस गंगा ड्राइव-वे को लेकर कई तरह की बातें कही गयी हैं। मसलन यह कि अशोक राजपथ के टैफिक लोड को कम कर देगा, साथ ही कच्ची दरगाह तक बढ़ जाने की वजह से एनएच तक का सफर भी आसानी से पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल इसके बनने में अभी समय लगेगा, लेकिन चार किमी दूर पटना का सबसे पुराना न्यू मार्केट की हालत पर न तो गवर्नमेंट और न ही एडमिनिस्ट्रेशन का कभी ध्यान गया है। इस वजह से दिन ब दिन जंक्शन एरिया का यह मार्केट बदहाल है। यहाँ आने व जाने का रास्ता नहीं मिल पाता है। सड़कों पर पानी जमा रहता है। कई बार शिकायत के बाद भी रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, नगर निगम और वाटर बोर्ड तीनों से किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया है। इस वजह से परेशानी और भी बढ़ी हुई है।

इस तरह से बनना है गंगा ड्राइव-वे :

- गंगा किनारे दीघा से दीवारगंज तक 21.50 किमी
- कच्ची दरगाह तक होगा विस्तार
- कच्ची दरगाह तक की लंबाई 23.50 किमी
- ड्राइव-वे पर चार लेन होगा
- ड्राइव-वे पर 7.08 किमी पुल का होगा निर्माण
- सतह पर होगी 16 किमी सड़क
- 5.5 फीट का होगा फुटपाथ लेन
- 21.50 किमी की निर्माण लागत 1950 करोड़
- 23.50 किमी की निर्माण लागत 3,106 करोड़
- हुडको की ओर से दिया जाएगा ऋण 2,000 करोड़।

न्यू मार्केट की हकीकत :

- दो सौ से अधिक शॉप, सौ से अधिक स्ट्रीट शॉप
- हर दिन हजारों लोगों का आना जाना
- कपड़ा बर्तन सहित कई आइटम का होलसेल मार्केट
- काफी पुराना होने के बावजूद दोनों तरफ सड़क
- पीने का पानी नहीं, सड़कों पर वाटर लॉगिंग।

कस्टमर की संख्या हो गई कम : न्यू मार्केट एसोसिएशन की मानें तो ओवर ब्रिज बनने के दौरान न्यू मार्केट पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया। मार्केट के अंदर सड़क पर जल जमाव रहता है। इससे कस्टमर की संख्या कम हुई है। एसोसिएशन से जुड़े राजकुमार ने बताया कि इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जलजमाव, टूटी सड़क व गंदगी को ठीक कर दिया जाए तो शॉपकीपर और आम लोगों को परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी।

(साभार : आई नैक्स्ट, 19.1.2015)

ग्रामीण सड़कों में केन्द्र ने की 800 करोड़ की कटौती : मांझी

इक्कीसवीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री जीवन राम मांझी ने आधारभूत संरचना से जुड़े बिहार के कई महत्वपूर्ण मसले उठाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर जर्जर गांधी सेतु तक की चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत 20 हजार 198 करोड़ की योजनाओं के विरुद्ध अब तक मात्र 8,892 करोड़ ही मिले हैं। बजट प्रावधान को पुनरीक्षित करते हुए ग्रामीण सड़कों के लिए 2042 करोड़ का प्रावधान किया गया था। राज्य सरकार ने इसे 4000 करोड़ करने का अनुरोध किया पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 के निर्धारित बजट प्रावधान को 2042 करोड़ से भी घटाकर 1650 करोड़ कर दिया। इसे कम से कम 4000 करोड़ किया जाए।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 17.1.2015)

कोलकाता से बौद्ध तीर्थ स्थलों के लिए रेल सेवा

रेलवे पर्यटकों के लिए कोलकाता से प्रमुख बौद्ध परिपथ शहरों के लिए एक विशेष ट्रेन चलाने की योजना बना रही है। इन प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थलों में वे स्थान शामिल हैं, जहाँ बौद्ध धर्म की हजारों वर्ष पूर्व उत्पत्ति हुई थी या किसी न किसी प्रकार से संबंध रहा। **ये पर्यटक स्थल होंगे शामिल :** बौद्ध पर्यटन परिपथ शहरों में बोध गया, दुर्गेश्वरी की गुफाएं, कंसरिया, वैशाली, राजगीर, नालंदा, कुशीनगर, सारनाथ एवं वाराणसी शामिल हैं।

(साभार : हिन्दुस्तान, 19.1.2015)

Congratulation



Mr. Vivek Kumar Jhunjhunwala, member Bihar Chamber of Commerce & Industries has been elected District Governor (2017-2018) of RID 3250 comprising States of Bihar and Jharkhand at the Annual Conference of Rotary International held in Goa on 11th January, 2015. RID 3250 is one out of 36 Districts of Rotary International in India, Sri Lanka and Nepal. Mr. Vivek has been an Executive Committee Member of the Chamber for three terms.

Chambers wishes him all success for his new assignment.

रेल बजट के लिए मांगे ऑनलाइन सुझाव

प्रधानमंत्री के गुड गवर्नर्स का असर रेलवे में दिखने लगा है। इस बार भारतीय रेलवे ने आगामी रेल बजट के लिए लोगों से ऑनलाइन सुझाव मांगे हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रधु ने भारतीय रेल को आम लोगों के अनुकूल बनाने के लिए यह कदम उठाया है। ताकि रेलवे की सेवाओं को सुधारने में लोगों का सीधा योगदान हो। रेल मंत्रालय ने 2015-16 के रेल बजट के लिए विभिन्न विषयों पर लोगों से सुझाव मांगा है। इस वेबसाइट पर दें सुझाव : www.indianrailways.gov.in

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 10.1.2015)

HOLIDAYS OF THE CHAMBER FOR THE YEAR 2015

S.N.	NAME OF HOLIDAYS	DATE	DAY	NO. OF DAYS
1	New Year's Day	01.01.2015	Thursday	01
2	Basant Pachami	24.01.2015	Saturday	01
3	Republic Day	26.01.2015	Monday	01
4	Holi	06.03.2015	Friday	02
		07.03.2015	Saturday	
5	Independence Day	15.08.2015	Saturday	01
6	Birthday of Mahatma Gandhi	02.10.2015	Friday	01
7	Durga Puja	21.10.2015	Wednesday	03
		22.10.2015	Thursday	
		23.10.2015	Friday	
8	Deepawali	11.11.2015	Wednesday	01
9	Chhath Puja	17.11.2015	Tuesday	02
		18.11.2015	Wednesday	
10	Karik Purnima/Guru Nanak Jayanti	24.11.2015	Tuesday	01
TOTAL				14

RESTRICTED HOLIDAYS

Employees can avail only three restricted holidays which are as follows :

S.N.	NAME OF HOLIDAYS	DATE	DAY
1	Mahashivatri	17.02.2015	Tuesday
2	Ramnavmi	28.03.2015	Thursday
3	Mahavir Jayanti	02.04.2015	Thursday
4	Raksha Bandhan	29.08.2015	Saturday
5	Sri Krishna Janamashtmi	05.09.2015	Saturday
6	Eid - Ul-Fitr	18.07.2015	Saturday
7	Eid - Ul-Zoha (Bakrid)	25.09.2015	Friday
8	Chitragupta Puja/ Bhaia Duju	13.11.2015	Friday
9	Muharram	24.10.2015	Saturday
10	X-Mas Day	25.12.2015	Friday

चैम्बर ने मनायी पूर्व अध्यक्ष स्व० खेमचन्द चौधरी की पुण्य तिथि



स्व० खेमचन्द चौधरी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया। साथ में पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय एवं अन्य।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष स्व० खेमचन्द चौधरी की 40वीं पुण्य तिथि पर दिनांक 14 जनवरी, 2015 को चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया की अध्यक्षता में स्व० चौधरी को भावभीनी श्रद्धांजली दी गयी।

श्री बरेरिया ने अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि महान विभूति स्व० चौधरी जी के बारे में मैं अधिक नहीं जानता परन्तु उनकी निर्भीकता, स्पष्टवादिता और उदारता के बारे में जो कुछ सुना उससे यह स्वतः स्पष्ट है कि स्व० चौधरी एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने बताया कि स्व० चौधरी का आकस्मिक निधन उस वक्त हुआ जब वे दिनांक 14 जनवरी, 1975 को समाज के पीड़ितों एवं जरूरतमंदों के बीच गर्म कपड़े एवं कम्बलों का वितरण करने हेतु सड़क मार्ग से दरभंगा जा रहे थे। रास्ते में कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गयी। तब से लेकर आज तक 14 जनवरी को चैम्बर में उनकी पुण्य तिथि मनायी जाती है।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय ने स्व० खेमचन्द चौधरी जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि आज के परिप्रेक्ष्य में स्व० चौधरी जी की निर्भयता, व्यापारियों की समस्याओं को पुरजोर तरीके से सरकार के समक्ष उठाने की क्षमता बहुत ही कम लोगों में है। स्व० चौधरी ने अपना सारा जीवन परोपकार, सच्चाई एवं सादगी में व्यतीत किया। संयोग भी ऐसा था कि उनकी मृत्यु भी परोपकार के दौरान ही हुई। वे प्रेरणा श्रोत थे। चैम्बर के वार्षिक अधिवेशन में स्व० चौधरी ने जिस निर्भीकता से भाषण दिया उसे देश के सभी अखबारों ने प्रमुखता से छपा था। चैम्बर की लाइब्रेरी में वह प्रति संजोकर रखी हुई है।

श्री गणेश प्रसाद खेमका ने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए स्व० चौधरी को प्रेरणा स्रोत बताया।

स्व० चौधरी के पुत्र श्री आत्माराम चौधरी ने अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि चैम्बर आज मेरे पिता की 40वीं पुण्य तिथि मना रहा है, उसे मैं उनके प्रति सर्वोच्च सम्मान मानता हूँ और अपने को गौरवान्वित मानता हूँ। उनका जीवन बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में समर्पित था। वे सदैव चैम्बर की बेहदरी के बारे में चिंतन करते थे। चैम्बर उनकी आत्मा थी। संयोग भी ऐसा कि चैम्बर का कार्य करते हुए ही उनकी मृत्यु हुई। सदा सत्य, स्पष्ट बोलो और निर्भीक रहो, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझो और हर संभव उनकी मदद करो- यह उनकी सीख थी। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके पद चिन्हों पर चलें, उनका अनुसरण करें।

इस अवसर पर कोषाध्यक्ष डॉ. रमेश गाँधी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुरेश प्रकाश गुप्ता, पूर्व उपाध्यक्ष श्री जी. के. खेतड़ीवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री पी. के. सिंह, पूर्व महामंत्री श्री राजाबाबू गुप्ता सहित काफी सदस्य उपस्थित थे। सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखकर स्व० चौधरी की श्रद्धांजलि दी।

EDITORIAL BOARD

Editor
O. P. Tibrewal
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505

E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296